न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित तारा चन्द मीणा आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **01/2020** आवंटन निरस्ती

श्री मदनसिंह पिता श्री रामसिंह जी निवासी करमाल (सुलावास) तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

—— **प्रार्थी**

बनाम

1. श्री महेन्द्रसिंह पिता श्री देवी सिंह जी निवासी करमाल (सुलावास) तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री प्रेमसिंह पिता श्री देवी सिंह जी निवासी करमाल (सुलावास) तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
3. श्रीमती मन्जुकुंवर पत्नी श्री महेन्द्रसिंह जी निवासी करमाल (सुलावास) तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर

—— **विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज. भूराजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 निरस्त कराये जाने आवंटन दिनांक 15.06.2002 अन्तर्गत प्रकरण संख्या राजस्व 1097/2002

उपस्थितः
1. श्री भूरालाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री भीमराज पटेल, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3
3. श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः—.....

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा करमाल तहसील गिर्वा के आराजी नं. 972 रकबा 0.3700 हैक्टेयर भूमि विपक्षी सं. 1 से 3 को दिनांक 15.06.02 को उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई। कथित आवंटन नियमों के विपरीत होकर मिसरिप्रजेनटेशन कर नियमों का उल्लंघन किया गया है। जबकि 40—45 वर्षो से इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:53:56 IST
Reason: SelfAttested

भूमि पर प्रार्थी का कब्जा है। प्रार्थी को कभी बेदखल नहीं किया गया। प्रार्थी भूमिहीन होकर फौजी काश्तकार है। जो भूमि को अपने नाम कराने का अधिकारी है। भूमि आवंटन के पूर्व आक्यूपाईट व अनऑक्यूपाईट भूमि की सूची जारी नहीं की थी। वक्त आवंटन विपक्षीगण के नाम 12 बीघा से ज्यादा भूमि थी। विपक्षीगण राजनैतिक पंहुच वाले व्यक्ति है। जिनके द्वारा पटवारी हल्का से मिलकर मिलीभगत कर फर्जी तरीके से भूमि आवंटन करा अपने नाम पर दर्ज करवा दी गई। जबकि आवंटन से पूर्व भूमि आवंटन की उद्घोषणा भी नही की गई। प्रार्थी द्वारा कथित भूमि को भारी लागत लगा कर काबिल काश्त बनाई, कुआं खोदा। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर भी प्रार्थी को यह भूमि नियमन नहीं की गई। आवंटन प्रक्रिया में घोर अनियमितता बरती गई। जब भूमि प्रार्थी के कब्जे काश्त में होते हुए विपक्षीगण को आवंटन कर दी गई। कथित भूमि पर विपक्षीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा। आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नही किये जाने से कथित आवंटन काबिल निरस्त के है। दिनांक 22.11.18 को प्रार्थी द्वारा मौके पर गांव के मवेशियों को पानी पिलाने की प्याऊ बनाने हेतु पत्थर डालकर भूमि को समतल कराने लगा तो विपक्षी सं. 1 से 3 आकर कहने लगे की यह भूमि तो हमारी है। जिस पर जानकारी कर आवंटन की सम्पूर्ण पत्रावली दिनांक 10.12.18 की नकले प्राप्त हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिनांक 12.12.18 को नकले प्राप्त कर अधिवक्ता से सम्पर्क कर यह आवंटन निरस्ती का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसे स्वीकार किया जाकर भूमि का आवंटन निरस्त फरमाया जाये एवं भूमि को बिलानाम दर्ज कराना फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। जो संलग्न पत्रावली है।

विपक्षी संख्या 1 से 3 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि मौजा करमाल पटवारी हल्का सुलावास तहसील गिर्वा की आराजी सं. 972 रकबा 0.3700 है0 भूमि दिनांक 15.06.02 को आवंटन कमेटी द्वारा भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 से 3 के पक्ष में किया गया। आवंटन नियमानुसार किया गया। कथित भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 3 का कब्जा लम्बे समय से चला आ रहा था। जो निर्विवाद रूप से आज तक चला आ रहा है। आवंटन शर्तो की पालना कर भूमि को काबिल काश्त विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा बनायी गई है। आवंटन से पूर्व मौके की जांच भी की गई। भूमि को ऑक्यूपाईट व अनऑक्यूपाईट की सूची भी जारी की गई। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:53:56 IST
Reason: SelfAttested

आवंटन आवंटन सलाहाकार समिति को अंधरे में रखकर मिसरिप्रजन्टेशन कर आवंटित करा लिया। जबकि विपक्षी संख्या 1 से 3 को भूमि का आवंटन नियमानुसार किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 का सामान्य परिवार है। विपक्षी संख्या 1 से 3 की कोई राजनैतिक पहुच नहीं है। गरीब व्यक्ति है। प्रार्थी का यह कथन असत्य है कि प्रार्थी द्वारा मौके पर कुआ खुदवाया गया हैं। उसका 40–45 वर्षो से कब्जा था। उक्त कथन मिथ्या, आधारहीन व झूठे है। विपक्षी संख्या 1 से 3 सद्भावी कृषक है। उन्हे भूमि का नियमानुसार आवंटन सलाहाकर समिति द्वारा आवंटन कर मौके पर पटवारी हल्का द्वारा कब्जा सिपुर्द किया गया। जिस पर लाखो रूपये खर्चा कर भूमि को काबिल काश्त बनायी। शेष सारी कार्यवाही उपखण्ड कार्यालय स्तर से है। आवंटन की तारीख से विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा भूमि पर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थी फौज से रिटायर्ड अवश्य हुआ है लेकिन प्रार्थी गांव का ठाकुर एवं जागीरदार है। उनके परिवार में करीब 100 बीघा जमीन है ऐसी स्थिति में वह भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.11.18 को प्याऊ बनाने वाली घटना को काल्पनिक बताया गया है। प्रार्थी को प्रारम्भ से ही यह ज्ञान था कि यह भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के खाते की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जाये।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम करमाल पटवार हल्का सुलावास तहसील गिर्वा के आराजी नं. 972 में से 0.3700 हैक्टेयर भूमि विपक्षी सं. 1 से 3 को दिनांक 15.06.2002 को उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा आवंटन किया गया। कथित आवंटन नियमों के विपरीत होकर मिसरिप्रजेन्टेशन कर नियमों का उल्लंघन कर किया गया। जबकि कथित भूमि 40–45 वर्षो से प्रार्थी के कब्जे में है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को भारी लागत लगाकर काबिल काश्त बनायी, कुआ खोदा। उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा अपने आपको भूमिहीन बताकर भूमि का आवंटन प्राप्त किया। उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जे मे होकर भूमि के नियमन हेतु आवंटन कमेटी के समक्ष प्रकरण को रखवाया गया, परन्तु विपक्षी संख्या 1 से 3 राजनैतिक पहुंच वाले होने से पटवारी हल्का से मिलीभगत कर उक्त भूमि में से मात्र 0.0100 हे0 कुंए की भूमि को ही प्रार्थी के नाम पर नियमन किया गया। शेष भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम पर नियमों के विपरीत आवंटन कर दी गई। उक्त सारी कार्यवाही पटवारी हल्का से मिलकर आवंटन कमेटी को धोखे में रखकर विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा की गई। विपक्षी संख्या 1 से 3 को भूमि आवंटन के बाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:53:56 IST
Reason: SelfAttested

आवंटित भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा कथित आवंटन धोखे व दुर्व्यप्रदर्शन से प्राप्त किया गया है। जबकि प्रार्थी फोज से रिटायर्ड होकर अपनी आजीविका के लिए भूमि आवंटन की पात्रता भी रखता है। जिसके उपरान्त भी भूमि का आवंटन नहीं किया गया। अतः ऐसा आवंटन जो धोखे से प्राप्त किया गया हो, जिस पर आवंटी का कब्जा नहीं हो जिसे निरस्त कराना फरमावे।

विद्वान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि कथित भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 से 3 को आवंटन सलाहाकार समिति द्वारा विधिवत, नियमानुसार आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा कोई फ्रॉड व धोखे से प्राप्त नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 सद्भावी कृषक है। आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 3 का आवंटन से पूर्व निर्विवाद रूप से कब्जा चला आ रहा था। उक्त कब्जे के आधार पर ही आवंटन किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 का परिवार काश्तकारी से है। जो सामान्य परिवार हैं। विपक्षी संख्या 1 से 3 गरीब व्यक्ति हैं। आवंटन के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा कथित भूमि का कब्जा विधिवत रूप से सुपूर्द कर दिया है तब से आवंटित भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 3 कब्जा चला आ रहा है। आवंटित भूमि पर प्रार्थी का कोई कुआ खुदा हुआ नहीं हैं । आवंटन के बाद विपक्षी संख्या 1 से 3 द्वारा भूमि को काबिल काश्त बनायी। लाखो रूपये की लागत लगाकर भूमि को आबाद किया। प्रार्थी फोज से रिटायर्ड अवश्य हुआ हैं। लेकिन वह गांव का ठाकूर है। उसके भाईयों के पास में करीब 100 बीघा जमीन है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में जितने भी कथन किये गये है वह मिथ्या, आधारहीन है। आवंटन कमेटी भी पूर्ण थी। आवंटन के पूर्व जितनी भी कार्यवाही पूर्ण की जानी होती है, उपखण्ड कार्यालय से पूर्ण की गई है। यह प्रार्थनापत्र विपक्षी संख्या 1 से 3 को महज परेशान, हैरान व संताप्त देने हेतु पेश किया गया है। बेबुनियाद आधारों पर प्रस्तुत प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज फरमाया जावे। अपनी बहस की ताईद में आरआडी 2018 पेज 532, आरआडी 2018 पेज 453, आरबीजे (23)2016 पेज 103 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा की मूल आवंटन पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि ग्राम करमाल पटवार हल्का सुलावास तहसील गिर्वा के आराजी नं. 91 में से 0.3700 हैक्टेयर भूमि का आवंटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:53:56 IST
Reason: SelfAttested

श्री महेन्द्र सिंह, प्रेमसिंह पिता देवीसिंह, मंजू कुंवर पत्नी महेन्द्र सिंह राजपूत को दिनांक 15.06.2002 को स्थान सुलावास पर पूर्णतया विधिक प्रावधानों के तहत हुआ है जिसका पत्रावली क्रमांक 1097/02 दिनांक 20.12.2002 से पट्टा जारी किया गया जो नियमानुसार सही है। प्रार्थी श्री मदनसिंह पिता रामसिंह को ग्राम करमाल, तहसील–गिर्वा की आराजी नंबर 972 रकबा 0.0100 हैक्टेयर भूमि राजस्थान भू राजस्व सिंचाई हेतु कुंआ खुदवाने हेतु 0.0100 हैक्टेयर भूमि आंवटन नियम 1979 के तहत लीज राशि 24/– वार्षिक की दर पर आदेश क्रमांक 1284 दिनांक 19.04.2003 से आंवटन किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किया है कि आराजी नम्बर 972 रकबा 0.3700 हैक्टेयर भूमि पर प्रार्थी का 40–45 वर्षो से कब्जा है किन्तु पत्रावली पर ऐसे कोई साक्ष्य/दस्तावेज उपलब्ध नही है जिससे यह प्रकट होता हो कि प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा रहा है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी अनुसार ग्राम करमाल तहसील गिर्वा की आराजी नम्बर 972 रकबा 0.3700 हैक्टेयर भूमि विपक्षीगणों के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज भी उपलब्ध नही है जिससे यह प्रतीत होता हो कि प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 972 रकबा 0.3800 हैक्टेयर भूमि आंवटन कराये जाने हेतु कोई चाराजोही की गई हो। प्रार्थी को कुंआ हेतु भूमि का आंवटन 19.04.2003 को किया गया इससे पूर्व ही विपक्षी को भूमि का आंवटन हो चुका था। विपक्षी द्वारा आंवटन हेतु क्या मिसरिप्रजेन्टेशन किया गया यह भी स्पष्ट नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति मय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा की पत्रावली सं. 1097/02 पुनः प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2022.11.01 11:53:56 IST
Reason: SelfAttested